



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 30, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2084/9-1-2020-19सा-13

लखनऊ, 21 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-547

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है:-

क्र०सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड सं०	सदस्य का नाम श्री/श्रीमती	मृत्यु/त्याग पत्र का दिनांक
1.	आगरा	नगर पंचायत किरावली।	-	श्रीमती शिवरानी (अध्यक्ष)	11.11.2020
2.	रायबरेली	नगर पंचायत परशदेपुर।	06	श्री सकलैन अख्तर (सदस्य)	01.11.2020

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 667 राजपत्र-2021-(1324)-599+20=619 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।